संख्या-75/2017/1177/26-32017-10(26)/2016

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 12 मई, 2017

विषयः प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 में कक्षा-6, 7 व 8 में रिक्त स्थानों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-52/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/प्रवेश-परीक्षा/2017-18, दिनांक-28.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा सत्र 2017-18 में प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में कक्षा-6, 7 व 8 में रिक्त स्थानों में प्रवेश हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराकर प्रवेश दिये जाने एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, खीरी में प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गये पात्र छात्र/ छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश परीक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-114/2015/आर-110 वी.आई.पी./26-3- 2015-246 सी.एम./2015, दिनांक-06.10.2015 द्वारा समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित किये जाने तथा इन्हें सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा शासनादेश संख्या-141/2015/5068/26-3-2015, दिनांक-23.11.2015 द्वारा इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोरांत निम्नवत् बिन्दुओं पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैंः-

(1)- शिक्षा सत्र 2017-18 में प्रदेश में समाज कल्याण द्वारा संचालित 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय अर्थात कुल 102 विद्यालयों में कक्षा-6, 7 एवं 8 में रिक्त स्थानों में प्रवेश हेतु जनपद स्तर पर गठित निम्नवत् समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराकर प्रवेश दिया जायः-

1-मुख्य विकास अधिकारी	-	अध्यक्ष
2-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	सदस्य
3-जिला समाज कल्याण अधिकारी-		सदस्य/सचिव
4-सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/अधीक्षक	-	सदस्य

(2)- जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में विद्यालय स्तरीय समिति के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के उपरांत सीटे रिक्त रह जाने की दशा में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मा ॅडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गये पात्र छात्र/छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

पृ0संख्या-75/2017/1177/26-32017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- सम्बन्धित जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण,/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- गार्डफाइल।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।